

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25.06.25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी में विचारधीन है।

अधिवक्ता वादीगण को तलबी हेतु न्याय-द्वित में पर्याप्त अवसर दिए जाने के

उपरान्त अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई गई।


इससे स्पष्ट है कि वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिटाजा आदेशिका दिनांक -

28.04.25 की पालना में वादीगण का वाद 'अदम पालना' में इसी स्तर पर

आदेश 09 नियम 05 CPC के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दारखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

  
सहायक दफ्तर  
(SDO), बाड़मेर